

न्यायालय जिला कलक्टर खैरथल-तिजारा (राजस्थान)

प्रकरण संख्या
11/78/2025

रजि० नं० 2025/
2025/355

प्रवेश तिथि
05.08.2025

निर्णय दिनांक
15.9.2025

1- देवांग पुत्र दिवान सिंह जाति जाट निवासी सैक्टर 4 रेवाडी जिला रेवाडी हरियाणा।

अपीलान्त

बनाम

1- तहसीलदार मुण्डावर तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा। (राजस्थान)

रेस्पॉडेन्ट

अपील विरुद्ध आज्ञा तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.08.2024 नामान्तरण संख्या 466 वाके ग्राम मानका तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा, को निरस्त किये जाने बाबत।

उपस्थित-

01. श्री प्रवीण कुमार

-वकील अपीलान्त

-:निर्णय:-

अपीलान्त ने यह अपील तहसीलदार मुण्डावर के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.08.2024 नामान्तरण संख्या 466 वाके ग्राम मानका तहसील मुण्डावर जिला खैरथल-तिजारा से व्यथित होकर पेश की है। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पॉडेन्ट को जर्जे नोटिस तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया।

विद्वान वकील अपीलान्तान ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया है, कि विवादित साबिक आराजी खसरा न० 203 रकबा 1.01 है० का 1/2 भाग ग्राम मानका जर्जे राजिस्ट्रड बैयनामा के दिनांक 28.12.2020 को खरीद किया गया है, वक्त खरीद बैयनामा से मिन अपीलान्त उक्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। मिन अपीलान्त ने साबिक आराजी खसरा न० 203 रकबा 1.01 है० का 1/2 भाग जर्जे बैयनामा खरीद करने के बाद बैयनामा के आधार पर नामान्तरण दर्ज कराने हेतु बैयनामा हल्का पटवारी को दे दिया तथा हल्का पटवारी ने कहा की आपका नामान्तरण दर्ज व मंजूर कराकर आपका बैयनामा वापिस कर दूंगा। लेकिन पटवारी हल्का ने उक्त बैयनामा के आधार पर नामान्तरण वर्ष 2020 में दर्ज नहीं किया। और न ही अपीलान्त को बैयनामा वापिस दिया, अपीलान्त ने हल्का पटवारी से बार-बार सर्म्पक किया तो पटवारी हल्का ने कहा कि अभी सैटलमेंट चल रहा है, सैटलमेंट कन्फर्म होने के बाद आपका नामान्तरण दर्ज हो जावेगा। उसके बाद सैटलमेंट विभाग द्वारा उक्त खसरा न० 203 रकबा 1.01 है० को हाल खसरा न० 228 रकबा 0.01 है० व 229 रकबा 1.00 है० पैमूद कर दिये, तो अपीलान्त ने दुबारा पटवारी हल्का से वर्ष 2024 में नामान्तरण दर्ज व मंजूर कराने के बाबत सर्म्पक किया तो पटवारी हल्का ने कहा की तहसीलदार मुण्डावर से नामान्तरण स्वीकृत करा दूंगा। लेकिन हल्का पटवारी ने नामान्तरण संख्या 466 वाके ग्राम मानका दर्ज कर कानूनगो से मिलान कराकर नामान्तरण को स्वीकृत व मंजूर कराने के लिए तहसीलदार मुण्डावर को पेश किया गया, तो तहसीलदार मुण्डावर ने नामान्तरण संख्या 466 को हस्ब रिपोर्ट पटवारी हल्का जॉच व संलग्न बैयनामा राजिस्ट्रड क्रमांक 101874 दिनांक 31.12.2020 में वर्णित खसरा न० 203 रकबा

d
जिला कलक्टर
खैरथल-तिजारा (राज०)

1.01 है0 ग्राम मानका के नामान्तकरण में दर्ज हाल खसरा न0 228 रकबा 0.01 है0 व 229 रकबा 1.00 है0 का विधिवत मिलान नही होने के कारण नामान्तकरण दिनाक 01.08.2024 को खारिज कर दिया गया। जो कि प्राकृतिक न्याय एवं विधिक प्रावधानों के विपरित जाकर अपीलान्त को सुने बिना ही दिनाक 01.08.2024 को निर्णय पारित किया गया है। जबकि अपीलान्त ने बैयनामा व साबिक आराजी खसरा न0 203 रकबा 1.01 है0 के हाल खसरा न0 228, 229 की जमावन्दी व मिलान क्षेत्रफल पेश किया गया। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 01.08.2024 की जानकारी मिन अपीलान्त को पूर्व में नही थी, दिनाक 20.06.2025 को अपीलान्त द्वारा हल्का पटवारी से अपने नामान्तकरण दर्ज व मंजूर कराने वावत जानकारी चाही तो पटवारी हल्का ने बताया कि आपका नामान्तकरण खारिज कर दिया। उसके बाद अपीलान्त ने दिनाक 24.06.2025 को नामान्तकरण की नकल प्राप्त कर कानूनी सलाह मशवरा कर बिना देरी किये यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष पेश की गयी है। अपील के लिए जानकारी की दिनाक 20.06.2025 को होने पर अपील अन्दर मियाद पेश की गयी है, लेकिन फिर भी तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय के विरुद्ध अपील किये जाने में हुऐ विलम्ब को माफ किये जाने हेतु पृथक से प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम 1963 का प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन है, कि अपील अपीलान्त अन्दर मियाद ग्रहण की जाकर अपील अपीलान्त स्वीकार फरमायी जाकर तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय को निरस्त किया जावे।

विद्वान वकील अपीलान्तान की बहस व पत्रावली का अवलोकन किया, कानून की मंशा देखी गई एवं बहस पर मनन किया। सर्वप्रथम प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून मियाद अधिनियम पर विचार किया। अपीलान्त ने यह अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अपीलाधीन आदेश दिनाक 01.08.2024 के विरुद्ध दिनाक 26.06.2025 को पेश की गयी है, जो करीब 10 माह 25 दिवस पश्चात विलम्ब से पेश की गयी है, अपील के साथ संलग्न प्रार्थना पत्र दफा 5 कानून अधिनियम 1963 में अपीलान्त द्वारा तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय दिनाक 01.08.2024 की सर्वप्रथम जानकारी दिनाक 20.06.2025 को होना दर्शाया गया है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर द्वारा भी विभिन्न द्वष्टान्तों में मियाद के बिन्दू नरमी का रूख अपनाने का सिद्धान्त प्रतिपादित किया हुआ है। अतः अपील अपीलान्तान अन्दर मियाद शुमार की जाती है। अपीलान्त का मुख्य है, कि विवादित साबिक आराजी खसरा न0 203 रकबा 1.01 है0 का 1/2 भाग ग्राम मानका जर्गे रजिस्टर्ड बैयनामा के दिनाक 28.12.2020 को खरीद किया गया है, वक्त खरीद से अपीलान्त आराजी पर काबिज होकर काश्त करता चला आ रहा है। अपीलान्त द्वारा बैयनामा के आधार पर नामान्तकरण दर्ज कराने हेतु बैयनामा की प्रति हल्का पटवारी को दे दिया तथा हल्का पटवारी के द्वारा नामान्तकरण संख्या 466 वाके ग्राम मानका दर्ज कर कानूनगो से मिलान कराकर नामान्तकरण को स्वीकृत व मंजूर कराने हेतु तहसीलदार मुण्डावर को पेश किया गया, तहसीलदार मुण्डावर के द्वारा नामान्तकरण संख्या 466 को हस्ब रिपोर्ट पटवारी हल्का जॉच व संलग्न बैयनामा रजिस्टर्ड क्रमांक 101874 दिनाक 31.12.2020 में वर्णित खसरा न0 228 रकबा 0.01 है0 व 229 रकबा 1.00 है0 ग्राम मानका के नामान्तकरण में दर्ज खसरा न0 का विधिवत मिलान नही होने के कारण नामान्तकरण दिनाक 01.08.2024 को खारिज कर दिया गया। तहत अदालत के रिकार्ड का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का मानका द्वारा नामान्तकरण संख्या 466 दिनाक 02.07.2024 को रजिस्टर्ड दस्तावेज संख्या 202003252101874 दिनाक 31.12.2020 के आधार पर दर्ज किया गया है, नामान्तकरण में वर्णित आराजी खसरा न0 228 रकबा 0.0100 है0 व 229 रकबा 1.0000 भूमि खातेदारान कमशः सुमन देवी, सुन्दर लाल, अनील कुमार के नाम दर्ज रिकार्ड थी, खातेदारान द्वारा खातेदारी की आराजी जर्गे बैयनामा अपीलान्त को बैचान की गयी है, मुताबिक बैयनामा के नामान्तकरण पटवारी हल्का द्वारा सही दर्ज किया गया है, किन्तु तहत अदालत द्वारा राजस्व रिकार्ड का अवलोकन किये वगैर ही नामान्तकरण को खारिज किया गया है। तहत अदालत द्वारा पारित निर्णय न्यायोचित नही है। अपील अपीलान्त स्वीकार किये जाने योग्य है।


जिला कलक्टर
ना खसरा-तिसारा (राज०)

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है, तहत अदालत तहसीलदार मुण्डावर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.08.2024 नामान्तरण संख्या 466 वाके ग्राम मानका तहसील मुण्डावर खारिज किया जाता है, प्रकरण इस निर्देश के साथ तहसीलदार मुण्डावर को प्रतिप्रेषित किया जाता है, कि प्रकरण की पुनः जाँच कर अपीलान्ट को सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान किया जाकर पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करे। पारित निर्णय की प्रमाणित प्रति तहत अदालत को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फ़ैशल शुमार हो, बाद तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 15.9.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(किशोर कुमार)
जिला कलेक्टर एवं सिविल
जि.स. खैरथल-तिजारा (बि.क.)
मजिस्ट्रेट खैरथल-तिजारा